(UPFD01 005378 2026)

न्यायालय – सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

उपस्थित– डा० बब्बू सारंग..... ... ...एच०जे०एस०
द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2762/2026

1. **जितेन्द्र कुमार** पुत्र मंशाराम,

निवासी ग्राम हरगनपुर, थाना नसीरपुर, जिला फिरोजाबाद।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० सरकार... ... ...विपक्षी।

धारा– 363 भा०दं०सं०,
अपराध संख्या– 189/2023,
मुकदमा सं०– 299/2025,
थाना– नसीरपुर, जिला– फिरोजाबाद।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **जितेन्द्र कुमार** की ओर से यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र धारा 363 भा०दं०सं०, अपराध संख्या– 189/2023, मुकदमा सं०– 299/2025, थाना नसीरपुर, जिला फिरोजाबाद के मामले में अग्रिम जमानत हेतु अंतर्गत धारा **482 बी०एन०एस०एस०** प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक इस प्रकार है कि, वादी मुकदमा सत्यप्रकाश द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी कि उसकी बेटी कु० करिश्मा, उम्र करीब 15 वर्ष दिनांक 24.10.2023 को रात करीब 11.00 बजे घर से बिना बताये कहीं गई थी। उन्होंने उसे ढूंढने का प्रयास किया किन्तु नहीं मिली। जानकारी करने पर मालूम हुआ कि उनके गांव का लड़का जितेन्द्र उसकी बेटी को बहला–फुसलाकर भगा ले गया है। अतः रिपोर्ट पंजीकृत की जाये।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया

Babbu Sarang
2026-06-17T13:
36:43+0530

है कि, मुकदमा उपरोक्त में उसे झूंठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, वह बिलकुल निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25.10.2023 को समय 08.20 बजे दर्ज कराई गई है, जबकि वादी मुकदमा द्वारा घटना दिनांक 24.10.2023 को समय 23.00 बजे की दर्शाई गई है। अभियुक्त 28 वर्षीय नवयुवक है जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसका भविष्य बर्बाद करने की नियत से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उक्त मुकदमे में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि Criminal appeal No. /2024(@ Special Leave Petition (Crl.)No.7940of 2023) Srikant Upadhyay and others v/s State of Bihar and Anr.** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा यदि मामले की विवेचना में अथवा विचारण न्यायालय की कार्यवाही में सहभागिता अथवा सहयोग नहीं किया जाता है, तब उन परिस्थितियों में वह अग्रिम जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, प्रार्थी/अभियुक्त पर वादी मुकदमा सत्यप्रकाश की पुत्री कु० करिश्मा, उम्र करीब 15 वर्ष को दिनांक 24.10.2023 को अपने साथ बहला–फुसलाकर भगाकर ले जाने का आरोप है, जिसका पुष्टिकारक साक्ष्य केस डायरी पर उपलब्ध है। पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में कथन किया गया है कि उसकी उम्र लगभग 15, वह कक्षा 9 तक पढ़ी है। दिनांक 24.10.2023 की समय रात के 11 बजे जितेन्द्र के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर आगरा आ गई थी। आगरा में वे लोग एक होटल में साथ में ही 15 दिन तक रहे फिर उसके बाद वे मथुरा आ गये और धर्मशाला में 4 दिन तक साथ रहे। फिर वहां से जितेन्द्र उसे फिरोजाबाद दिनांक 16.11.2023 को छोड़कर चला गया, फिर वह वहां से आटो पकड़कर शिकोहाबाद आई, फर वहां से दूसरा आटो पकड़कर लाछपुर

Babbu Sarang
2026-06-17T13:
36:43+0530

आ गई। वह वहां से अपने घर हरगनपुर जा रही थी कि पुलिस आ गई और उसे अपने साथ थाना नसीरपुर ले आई। पीड़िता द्वारा अपने बयान धारा 164 दं०प्र०सं० में कथन किया गया है कि उसकी उम्र 15 वर्ष है, जन्मतिथि 01.01.2009 है। दिनांक 24.10.2023 को वह घर से अकेले मथुरा चली गई थी, घर में किसी को नहीं बताया था, घरवालों ने डाटा था इसलिये गई थी, वह वहां मंदिर के पास धर्मशाला में रुकी थी। घर की याद आई तो वापस आ गई। कोई लड़का साथ नहीं था। पीड़िता ने अपने बयान धारा 161 दं०प्र०सं० में घटना का समर्थन किया है। यद्यपि कि पीड़िता द्वारा बयान धारा 164 दं०प्र०सं० में कथन किया गया है कि वह अकेले गई थी, किन्तु पीड़िता नाबालिग है, 15 वर्ष की है तथा उसे बहलाया–फुसलाया गया है, जिस कारण पीड़िता के बयानों को दुर्बल माना जाता है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है तथा अभियोजन द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त मामले के निस्तारण में विचारण न्यायालय में सहयोग नहीं कर रहा है। अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने से उसके द्वारा मामले के निस्तारण को विलम्बित किये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयजविधि में प्रतिपादित सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए व मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना न्यायालय की राय में प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतएव अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त **जितेन्द्र कुमार** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक– 17.06.2026

(डा० बब्बू सारंग)
सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

Babbu Sarang
2026-06-17T13:
36:43+0530